भारतीय बीज सहकारी समिति का सदस्य कैसे बने

कोई भी सहकारी समिति, शेयर पूंजी की सदस्यता राशि जमा कर, सदस्य बन सकती है, जिसका संपूर्ण भुगतान सदस्यता आवेदन के समय किया जाएगा।

1 एक राज्य स्तरीय सहकारी समिति, कम से कम 1000 शेयर खरीदेगी, जिसमें एक शेयर का अंकित मूल्य ₹1,000/- होगा अर्थात कुल जमा धनराशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) होगी।

2 एक राष्ट्रीय सहकारी समिति और एक बहु-राज्य सहकारी समिति, जिसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में नामित नहीं किया गया है, कम से कम 500 शेयर खरीदेगी जिसमे एक शेयर का अंकित मूल्य ₹1,000/- होगा अर्थात कुल जमा धनराशि ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) होगी।

3 एक सहकारी समिति, राज्य स्तर या प्राथमिक सहकारी समिति के अलावा, कम से कम 10 शेयर खरीदेगी जिसमें एक शेयर का अंकित मूल्य ₹1,000/- होगा अर्थात कुल जमा धनराशि ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) होगी।

4 एक प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति ₹1,000/- के अंकित मूल्य का एक शेयर खरीदेगी अर्थात कुल जमा धनराशि ₹ 1,000/- (एक हजार रुपये) होगी।

5 ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग या व्यक्तियों के संघ जिन्हें केन्द्रीय निबंधक (सहकारी समितियां) के द्वारा सदस्य बनने की अनुमति दी गई हो, ₹1,000/- के अंकित मूल्य के कम से कम 2 शेयर खरीदेगी अर्थात कुल जमा धनराशि ₹ 2,000/- (दो हजार रुपये) होगी।

सदस्यता के लिए आवेदन करते समय सदस्यता प्रवेश शुल्क (Rs. 500/-) एवं शेयरों के पूर्ण मूल्य के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सभी सदस्य समितियों को वार्षिक लेखांकन के बाद उनकी शेयर पूंजी पर अधिकतम 20% तक लाभांश देने का प्रावधान है।